

कार्यालय: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(मानचित्र स्वीकृति पत्र)

संख्या १७० मानचित्र सं.- 100/जोन-१/१४-१५
म.एम.आर. प्रोब्लू रियलटेक प्रा.लि.
डायरेक्टर श्री विजय कुमार
कार्यालय-१९०, सैनी एन्कलेव, विकास मार्ग
दिल्ली-९२

दिनांक : २१/०२/२०१९

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 20.05.14 के सदर्भ में खासा सं.-1048गि., 1049गि., 1059गि., 1060गि., 984, 985, 986गि. याम नूरनगर, गाजियाबाद पर प्रस्तावित युप्र हाउसिंग मानचित्र सं.-100/जोन-१/१४-१५ पर उपायक्ष महोदया द्वारा दिनांक 14.06.18 को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

- यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पौँच वर्ष तक वैध है।
- मानचित्र की इस स्वीकृत रामबन्धि किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे-नगर पालिका, जी.डी.ए.) किसी अन्य विभित्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।
- भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
- यदि भवित्व में विकास कार्य हेतु कोई व्यंग भाग जायेगा तो वह विना किसी आपत्ति के देय होगा।
- जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण की विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
- दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि सार्वजनिक सड़क की ओर न खुले।
- राडक सविस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (विल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकारी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
- स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि भौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशियलिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उर्ही की होगी।
- यह मानचित्र उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकृत किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
- सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
- सुपरविजन एवं स्पेशियलिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
- पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
- पर्यावरण की दृष्टि से उ.प्र. राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम प्रत्येक हैक्टेयर 50 पेड लगाना अनिवार्य होगे।
- स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में सम्पूर्ण प्रभान्य-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा। भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ण प्रभान्य-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सामूहिति प्रगाण-पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्डिंग एवं समस्त विकास कार्य पूर्ण करने होंगे तथा बिना आज्ञा व प्रभान्य-पत्र लिये भवन को प्रयोग न करना होगा।
- 300 वर्गमी. या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रुफ टॉप रेन वाटर हार्डिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
- 12.00 मी. से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवश्यक नियमानुसार भूमियां व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- सरचना सुरक्षा का उत्तरदायित स्वयं आपका होगा तथा आप द्वारा सरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- स्थल 45.00 मी. चौड़ी जोनल रोड पर रिथ्ट है। बाउण्ड्री वाल का निर्माण रोड वाइडेनिंग की भूमि के बाद किया जायेगा।
- भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद/विवाद की रित्थि में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा तहसील एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा भूमि विनियोग कराकर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- उत्तर द्वितीय में 75 प्रतिशत वाह्य विकास शुल्क जमा होने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य कार्यवाही होगी।
- नाली, चकरोड, ग्राम समाज व निगम/सरकारी भूमि पर कोई निर्माण कार्य/विकास कार्य नहीं किया जायेगा।
- भू-पर्याप्त जल उपयोग किये जाने से पूर्व सम्पूर्ण विभाग की अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- अधिकान एवं उसमें कार्यरत श्रमिकों का अम विभाग में नियमानुसार पंजीयन कराया जाना आवश्यक है।
- निर्माणाधीन अवधि में निर्माण स्थल पर धूल से बचने हेतु समुचित करका प्राधिकान किया जाये, निर्माण सामग्री के परिवान एवं उनके उपयोग की अवधि में निर्माण सामग्रियों पर पानी का छिरकाव किया जाय एवं डर्ट सप्लेशन यूनिट का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाये। इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निर्माण सामग्रियों को ले जाने हेतु ढक्के हुए वाहनों का प्रयोग किया जाये।
- नियमानुसार RERA में रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- अतिरिक्त शर्तें स्वीकृति पत्र के साथ संलग्न हैं एवं मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चर्चा है, जिनका अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक : 1. एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

पत्रांक : /मालान/

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड जोन-१ को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

दिनांक /

मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक
गा.वि.प्रा., गाजियाबाद
21/02/2019

मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक

Scanned by CamScanner